

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।

(मनरेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

विभागीय पत्रांक (N)398 दिनांक 28.04.2020 में उल्लेखित बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की आवश्यकता को देखते हुए अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। मनरेगा अन्तर्गत राँची जिले के प्रखण्डों में बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की खरीदारी, उसे कार्य स्थल तक ससमय उपलब्ध कराने हेतु सुयोग्य आपूर्तिकर्ताओं/प्रतिष्ठानों का चयन किया जाना है।

बिरसा हरित ग्राम योजना हेतु निम्न सामग्री की आवश्यकता है—

Sl. No.	Material Required	Rate (per Kg/Ltr.)
1	Vermi Compost	Per Kg.
2	Pyrethrum (Biflex TC) or equivalent (Anti-termite)	Per Liter
3	Trichoderma xp.	Per Kg.
4	Dolomite	Per Kg.
5	Bone meal/SSP	Per Kg.
6	Karanj/Neem oil cake	Per Kg.
7	Furadon 3G/Fenvalrate-D or equivalent	Per Kg.
8	Fungicides (Mancozeb + Carbendazim)	Per Kg.
9	Fungicides (Blue Copper/ CuOCl or equivalent)	Per Kg.
10	Insecticides (Chlorpyriphos/ Quinalphos or equivalent)	Per liter
11	Chemical Fertilizer (NPK: Sufala/10:26:26)	Per Kg.
12	Chemical Fertilizer (Urea)	Per Kg.
13	Micronutrient (ToTocare, Multiplex or equivalent)	Per Liter
14	250 Microne Polythene for Jal kund	Per Kg.

उपरोक्त वर्णित कीटनाशक, फफुन्दाशक, दीमकनाशक, रासायनिक खाद आदि के Procurement हेतु विभागीय पत्रांक (N)398 दिनांक 28.04.2020 में उल्लेखित विष्टियों के अंतर्गत किया जाएगा। इच्छुक निविदादाता उक्त पत्रांक एवं निविदा के नियम एवं शर्तों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विकास भवन, कचहरी रोड, राँची के मनरेगा कोषांग में किसी भी कार्य दिवस को देख सकते हैं तथा राँची जिला के वेबसाईट www.ranchi.nic.in पर भी देखा जा सकता है। उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति का आदेश As per Demand/Requirement के आधार पर दिया जायेगा।

निविदा की नियम एवं शर्त

निविदादाता को निविदा दो भागों में अलग-अलग (मुहर बन्द लिफाफा) में देना अनिवार्य होगा।
(क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा

(क) तकनीकी निविदा :-

- Last Three (03) year Income Tax Return.
- PAN CARD की छायाप्रति।
- GST निबंधन की छायाप्रति।
 - प्रतिभूति की राशि के रूप में 1,000/- (एक हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो D.R.D.A. Ranchi के नाम से राँची में भुगतेय हो, संलग्न किया जाय।
 - निविदादाता द्वारा खाद/कीटनाशक/फफुन्दनाशक का सक्षम स्तर का लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
 - निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनका फर्म किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
- निविदादाता एवं आपूर्तिकर्ता के स्थानीय को वरीयता दी जाएगी।

(ख) वित्तीय निविदा :-

- आवश्यक सामग्री की दर (GST एवं सभी शुल्कों सहित), मात्रा (प्रति कि०ग्रा०/प्रति लीटर में)।
- कार्य स्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, GST, परिवहन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना है।

इच्छुक प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 23.05.2020 के अपराह्न 2.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विकास भवन, कचहरी रोड, राँची में जमा किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को उसी दिन दिनांक 23.05.2020 को अपराह्न 03.00 बजे उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष चयन हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा।

Anand Mishra
उप विकास आयुक्त -सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक, राँची।

ज्ञापांक *344/ii* / जि०ग्रा० दिनांक *13.05* / 2020

- प्रतिलिपि:-
1. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्थानीय समाचार पत्रों में उपरोक्त वर्णित आम सूचना का प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए।
 2. मनरेगा आयुक्त, झारखंड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. उपायुक्त, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Anand Mishra
उप विकास आयुक्त -सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक, राँची।